राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1686 / 2024

शबाना

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष परिहार, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निलम्बन से पूर्व अध्यापक लेवल–2 अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खजूरी, ओदपुर ब्लॉक सांगोद, जिला कोटा में कार्यरत था। निलम्बन आदेश के साथ–साथ उसका मुख्यालय परिवर्तन कर कोटा जिले से बाहर कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कर दिया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह अपील को अपीलार्थी के मुख्यालय परिवर्तन की हद तक सिमित रखना चाहते हैं।
3. अपीलार्थी अध्यापक लेवल–2 अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खजूरी, ओदपुर ब्लॉक सांगोद, जिला कोटा में कार्यरत था। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप हैं कि अपीलार्थी ने लव जिहाद, धर्मांतरण एवं जबरन नमाज पढाने का दबाव बनाने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है और पाकिस्तानी दावत–ए–इस्लामी की गतिविधियों को संचालित करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता की भावना के विरूद्ध कार्य किया है। जिस कारण अपीलार्थी को

निलम्बित कर उसका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों के दृष्टिगत अपीलार्थी का मुख्यालय एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का मुख्यालय कोटा जिले में ही किसी स्थान पर किये जाने के आदेश पारित करें।
5. इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)